



प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक- अगस्त 31, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 277 वाहनों का चालान कर व 07 वाहनों से 5500/रू0 शमन शुल्क वसूला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अभियान के दौरान धारा 34 पुलिस एक्ट मे 05 के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम व तस्करो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में आज जनपद के समस्त थानों द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 20 अभियोग में 20 गिरफ्तार किए गए तथा इनके कब्जे से 70 लीटर कच्ची, 172 शीशी अवैध देशी व 70 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अन्सार पुत्र मो0 हुसैन नि0 खेतवलिया थाना सोनौली के कब्जे से 04 बोरी यूरीया व 01 मो0 सा0 बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अन्नू उर्फ अभिषेक पुत्र हीरालाल नि० गजरा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 218/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विवेक पाण्डेय पुत्र नरदेश्वर नि० मझिला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के कब्जे से 01 अदद बांका बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 219/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्र पुत्र गणेश साहनी सोमाली 2.शिवचन्द उर्फ टील्लू पुत्र मोहन नि० माधवराम नगर थाना सोनौली को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.अमीन पुत्र आशिक नि० गंगवलिया 2.रज्जाक पुत्र खलील नि० खैरहवा थाना परसामलिक को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.वारिस पुत्र रऊफ 2.चुन्नू पुत्र समीउल्लाह 3.विशाल पुत्र सुरेश 4.मुन्ना सिंह पुत्र विष्णु 5.राजू बिन्द पुत्र बहादुर थाना निचलौल को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

एनडीपीएस अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र मदन नि० वार्ड न० 25 गांधीनगर थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 550 ग्रा० गांजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 180/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.गणेश पुत्र केदारी नि० ईमिलिया थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 530 ग्रा० गांजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 233/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर व 2.अभियुक्त रामू पासवान पुत्र प्रखर नि० ढाढर टोला परतावल थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 590 ग्रा० गांजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 234/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.रामजान पुत्र डल्लू नि० छिटौना थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 350 ग्रा० गांजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 443/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर व 2.अभियुक्त मुख्तार पुत्र रशीद नि० छिटौना थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 400 ग्रा० गांजा बरामद कर थाना

स्थानीय पर मु0अ0सं0 444/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त शहान पुत्र सैयद नि0 घरमौली थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 168 अदद कैप्सूल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 130/22 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 18 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 30/31-08-2022 को विभिन्न अपराधों में कुल-48 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।